सं0सं0–6/एन0–08–45/2009–.......

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

डॉ0 मिश्रा इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, मिश्रा कैम्पस, आरा रोड, बिहटा, पटना को स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक–762(6), दिनांक–31.08.2010 के माध्यम से 50 (पचास) छात्राओं के नामांकन क्षमता के साथ ए0एन0एम0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु कतिपय शर्तों के साथ अगले दो वर्षों के लिए मान्यता प्रदान की गयी थी। भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार दो वर्षों की अवधि के पश्चात संस्थान द्वारा अनिवार्य रूप से निजी भवन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है, अन्यथा पाँच वर्षों तक 50,000 (पचास हजार रूपये मात्र) प्रति वर्ष के दर से शास्ति (penalty) का एवं तत्पश्चात मान्यता समाप्त किये जाने का प्रावधान है।

इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक–228(6), दिनांक–08.03.2017 के माध्यम से संस्थान से कारण पृच्छा की गयी तथा निजी भवन की उपलब्धता के संबंध में नियमानुकूल साक्ष्य की मांग की गयी थी जिसके उत्तर में संस्थान के पत्र दिनांक–09.03.2017 के माध्यम से निजी भवन की उलपब्धता के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं संलग्न अभिलेखों के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि जिस भूमि में संस्थान द्वारा निजी भवन निर्माण किये जाने का उल्लेख किया गया है वह नियमानुसार ट्रस्ट/संस्थान के नाम से निबंधित नहीं है बल्कि उक्त भूमि श्रीमती उषा मिश्रा के नाम से निबंधित है जो नियमानुकूल नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्थान द्वारा संस्थान की निजी भवन की उपलब्धता के संबंध में प्रस्तुत किया गया साक्ष्य नियमानुकूल एवं स्वीकार्य नहीं है।

अतः भारतीय उपचर्या परिषद के नियमानुसार संस्थान द्वारा पाँच वर्षों की अवधि तक निजी भवन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं किये जाने के कारण डॉ0 मिश्रा इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, मिश्रा कैम्पस, आरा रोड, बिहटा, पटना के अन्तर्गत ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु मान्यता तत्तकाल प्रभाव से रद्द की जाती है।

सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : सं0सं0–6/एन0–08–45/2009 – 344(6) पटना दिनांक 07/04/2017

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, डॉ0 मिश्रा इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, मिश्रा कैम्पस, आरा रोड, बिहटा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) के आप्त सचिव/माननीय मंत्री (स्वास्थ्य) के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी (श्री प्रसाद), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार, इस आदेश को विभागीय बेवसाईट पर शीध्र अपलोड करने की कार्रवाई की जाय।

6/4/17
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।